

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 85

उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 03 फरवरी, 2025

14 माघ, 1946 (शक)

सांस्कृतिक संपत्ति का अवैध दुर्व्यापार

85. श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2030 तक सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध दुर्व्यापार को कम करने, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्मों को विनियमित करने और क्षतिपूर्ति कानूनों और अभिसमयों के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): सरकार सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। इसके अलावा, स्मारकों, स्थलों और संग्रहालयों में आवश्यकता अनुसार नियमित पहरा और निगरानी स्टाँफ, निजी सुरक्षा गार्ड और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। जब कभी किसी पुरावशेष के चोरी होने की सूचना मिलती है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है और चोरी हुए पुरावशेष को ढूंढने के लिए और इसके निर्यात पर निगरानी रखने के लिए सीमा शुल्क निकासी चैनलों सहित विधि प्रवर्तन एजेंसियों को 'लुक आउट नोटिस' जारी किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 26 जुलाई 2024 को एक सांस्कृतिक संपत्ति करार (सीपीए) पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे पुरावशेषों को वापस प्राप्त करने में आसानी होगी।

जन जागरण के लिए प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। हाल ही में, नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति बैठक के 46 वें सत्र के दौरान "री (एड) ड्रेश: रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स" शीर्षक से प्रदर्शनी और पुरावशेष की अवैध तस्करी पर रोक पर कार्यशाला के हिस्से के रूप में चेन्नई में 'जर्नी वियोन्ड दी बार्डर: रिटर्न ऑफ ट्रेजर' शीर्षक से प्रदर्शनी आयोजित की गई। सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध तस्करी का मुकाबला करने विषय पर आयोजित यूनेस्को क्षेत्रीय क्षमता निर्माण कार्यशाला में भी भारत ने भाग लिया था।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार को वर्ष 1976 से 2024 तक विदेश से 655 पुरावशेष वापस प्राप्त हुए हैं जिनमें से 642 पुरावशेष वर्ष 2014 से वापस प्राप्त हुए हैं।
